न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तालेडा जिला (बून्दी)
पीठासीन अधिकारी श्री मोहम्मद ताहीर R.A.S

मिसल नं0	तारीख दायर	तारीख फैसल
83/प्रा0पत्र/2019	14.08.2019	20.09.2019

अनुराग आ0 स्व0 रविन्द्र कुमार जाति ब्राहमण निवासी देहित तहसील तालेडा जिला बून्दी (राज0)
...प्रार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार तालेडा जिला बून्दी (राज0)

.........अप्रार्थीगण

उपस्थित अभिभाषक
अधिवक्ताप्रार्थी:– श्री अरविन्द प्रकाश शर्मा
अधिवक्ता अप्रार्थीगण:–

– : : निर्णय : : –

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा– 136 भू–राजस्व अधिनियम

संक्षेप में प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निम्न तथ्य निवेदन किये कि:–

1 यह कि प्रार्थी का गांव मे बोलता का नाम बिट्टू है। तथा अन्य समस्त सरकारी दस्तावेजात मे अनुराग आ0 रविन्द्र कुमार जाति ब्राहमण निवासी देहित तह0 तालेडा जिला बून्दी अंकित है।

2 यह कि प्रार्थी के नाम खाता संख्या नई 156 ग्राम देहित संवत् 2072–75 मे प्रार्थी का नाम इन्द्राज करते वक्त बोलता नाम बिट्टू आ0 रविन्द्र कुमार शामलाती खाते मे सहखातेदारान के साथ लिख दिया गया था तथा अन्य दस्तावेज मे प्रार्थी का नाम अनुराग अकिंत होने से प्रार्थी को कई प्रकार की सरकारी सहायता लेने एंव कई कार्यो मे नाम की वजह से दिक्कत आ रही है।

3 यह कि प्रार्थना पत्र के साथ नकल जमांबदी, आधार कार्ड, राशन कार्ड, अंकतालिका, पासपोर्ट संलग्न है।

4 यह कि यदि प्रार्थी का नाम दुरूस्त नही किया गया तो प्रार्थी को भविष्य मे कई प्रकार की कठिनाइयॉ आने की सम्भावना है।

5 यह कि प्रार्थी की भूमि ग्राम देहित मे होने से श्रीमान के श्रवणाधिकार मे है। तथा प्रार्थना पत्र उचित कोर्ट फीस व तलबाना पर प्रस्तुत है।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी का नाम इन्द्राज मे दुरूस्त करवाये जाने के आदेश फरमावे।

उप खण्ड अधिकारी
तालेडा

प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया । जवाब पेरोकार सरकार ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र में बताया कि प्रार्थी बिट्टू आ0 रविन्द्र कुमार जाति ब्राहमण को दूसरे नाम अनुराग आ0 रविन्द्र कुमार के नाम से भी जाना जाता है।

साक्ष्य में प्रार्थी की और से नकल जमाबन्दी खाता संख्या नई 156 ग्राम देहित संवत् 2072–75, गिरदावरी ग्राम देहित संवत् 2073 प्रार्थी अनुराग का आधार कार्ड, राशन कार्ड,

Scanned by CamScanner

अंकतालिका, पासपोर्ट, तहसीलदार रिपोर्ट, स्वयं का शपथ–पत्र, रविन्द्र कुमार शर्मा, चिराग शर्मा का साक्ष्य शपथ–पत्र की प्रतियाँ पेश की।

बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में संलग्न नकल जमाबन्दी खाता संख्या नई 156 ग्राम देहित संवत् 2072--75 में प्रार्थी बिट्टू आ0 रविन्द्र कुमार ना0बा0 जर्ये संरक्षक पिता रविन्द्र कुमार कौम ब्राहमण अन्य सह खातेदारान के साथ दर्ज रिकार्ड है, अन्य दस्तावेजात अनुराग का आधार कार्ड, राशन कार्ड, अंकतालिका, पासपोर्ट, तहसीलदार रिपोर्ट, स्वयं का शपथ–पत्र, चिराग शर्मा का साक्ष्य शपथ–पत्र से स्पष्ट होता है कि प्रार्थी का शुद्ध नाम अनुराग आ0 रविन्द्र कुमार होना पाया जाता है। उक्त विवादित आराजीयात में प्रार्थी का नाम शुद्ध किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार तालेडा को आदेश दिया जाता है कि नकल जमाबन्दी खाता संख्या नई 156 ग्राम देहित संवत् 2072–75 में प्रार्थी का नाम बिट्टू हजफ किया जाकर उसके स्थान पर सही नाम बिट्टू उर्फ अनुराग आ0 रविन्द्र कुमार दर्ज रिकार्ड किया जावे। शेष इन्द्राज यथावत रहेगें।

यह निर्णय आज दिनांक 20.09.2019 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर सरेइजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी तालेडा जिला बूंदी

उपखण्ड अधिकारी
तालेडा

उपखण्ड अधिकारी
तालेडा

Scanned by CamScanner